

UPET010051032025



न्यायालय: अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03, एटा।
उपस्थित- 'कमालुद्दीन' ::एच0जे0एस0::
J.O. Code U.P. 2690
सिविल निगरानी संख्या-57 / 2025

राम सहि आदि

-बनाम-

उदयवीर सिंह आदि

.....निगरानीकर्ता / प्रतिवादीगण

.....विपक्षीगण / वादीगण

-निस्तारण प्रार्थना पत्र 15ए1-

07.04.2026

पत्रावली पेश। निगरानीकर्ता राम सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र 15ए1 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त रिवीजन अवर न्यायालय द्वारा मूलवाद सं0-697 / 2006 उदयवीर सिंह बनाम राम सिंह में पारति आदेश दिनांकित 11.07.2025 के विरुद्ध योजित किया गया है। उक्त रिवीजन के लम्बनकाल में अवर न्यायालय के समक्ष लम्बित मूलवाद उपरोक्त अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.12.2025 के माध्यम से आदेश 9 नियम 8 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत खारिज कर दिया गया है, जिस कारण विधिनुसार आदेश दिनांकित 18.12.2025 के माध्यम से मूलवाद उपरोक्त के खारिज होने के कारण उक्त रिवीजन में आक्षेपित आदेश स्वमेव विधि के प्रभाव से समाप्त हो गया है। मूलवाद उपरोक्त के निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 18.12.2025 के विरुद्ध आज तक कोई रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रिवीजन इन्फ्रकचुअस हो जाने के कारण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

विपक्षीगण की ओर से आपत्ति नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि निगरानीकर्ता की ओर से उपरोक्त निगरानी बिना निर्णय के यथास्थिति में निस्तारित किये जाने का निवेदन किया गया है। चूँकि मूलवाद निस्तारित हो चुका है, इस कारण बिना गुण-दोष पर विचार किये प्रार्थना पत्र 15ए1 स्वीकार करते हुए वर्तमान निगरानी तदानुसार निस्तारित किये जाने योग्य है।

-आदेश-

निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 15ए1 स्वीकार की जाती है तथा निगरानीकर्ता का सिविल निगरानी संख्या-57 / 2025 राम सिंह आदि बनाम उदयवीर आदि बिना गुण-दोष पर विचार किये तदानुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 07.04.2026

(कमालुद्दीन)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690